2023/139

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

**प्रार्थी / अपीलांट** — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री ललित मेघवाल पुत्र श्री मन्छाराम
निवासी पुरानी बस्ती उन्दरी मेघवाल वास
सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर
जिला पाली।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** — मुकदमा नं. 34 वर्ष 2023

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24.08.2023 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 24.05.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड डाक संख्या RR125941339IN दिनांक 13.07.2022 के माध्यम से एक शिकायत पत्र प्रेषित किया था, जिस पर कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा क्या कार्यवाही की गई। उस समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 24.05.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड डाक संख्या RR125941339IN दिनांक 13.07.2022 के माध्यम् से एक शिकायत पत्र प्रेषित किया था, जिस पर कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा क्या कार्यवाही की गई। उस समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा विभाग सिरोही से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2023/156 दिनांक 23.08.2023 के द्वारा अपीलार्थी का मूल आवेदन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा विभाग सिरोही को स्थानान्तरित कर दिया गया है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा विभाग सिरोही के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>(हस्ताक्षर)<br>(डॉ. भँवर लाल)<br>**जिला कलक्टर, सिरोही** | |

Scanned with CamScanner